छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018 प्रति,

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 285/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 21 जून, 2017 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अविध जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-07-2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 139 प्रतिशत

2/ बढ़े हुए महंगाई राहत की राशि का माह मई, 2018 के पेंशन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के

अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पित/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पित/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पित/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णीकित किया जायेगा ।

7/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/न-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एस.को. चक्रवर्ती) २९ | २०१६ संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH FINANACE DEPARTMENT MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No.259/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Naya Raipur, Dated 29 May, 2018 To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh retired/died before 1st January 2016

The State Government had sanctioned 136 % dearness relief w.e.f. 01-01-2017 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 285/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV, dated 21 June, 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-07-2017	139% of Pension/family pension

- 2. The amount of enhanced dearness relief shall be paid in cash from the pension of May 2018 (Payable on June 2018). Decision regarding payment of arrear shall be taken seperately.
- 3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be

œ~

payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

- Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).
- This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.
- Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.
- All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(S.K. Chakraborty) 3/5/2018
Joint Section 19

पृ.क. 260/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018 प्रतिलिपि-

- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
- 2. सिचव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सिचवालय, रायपुर
- 3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
- 4. रिजस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
- 5. सिचव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ रायपर
- 6. निज सिचव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
- 7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
- 9. मुख्य सिचव के उप सिचव, मंत्रालय, नया रायपुर
- 10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
- 11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
- 12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
- 14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
- 16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
- 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
- 18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
- 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
- 20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
- 21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधंक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
- 22. वित्त सिचव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
- 23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
- 24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
- 25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
- 26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
- 27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039

- 28. वित्त सिचव, तिमलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
- 29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
- वित्त सिचव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैगलोर 560001 30.
- वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001 31.
- वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017 32.
- वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003 33.
- वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001 34.
- वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001 35.
- वित्त सिचव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001 36.
- वित्त सिचव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001 37.
- वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001 38.
- वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला ७७९००१ 39.
- वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001 40.
- वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोंग 793001 41
- वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001 42 43.
- वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101 44.
- वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
- वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004 45. 46.
- वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001 47.
- वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017 48.
- वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001 49.
- वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, 50. अहमदाबाद 380001
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001 51.
- महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463 52.
- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463 53.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001 54. 55.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
- प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001 56. 57.
- प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002 58.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695039 59.
- महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018 60.
- महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020 61.

- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000 62. 63.
- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैगलोर 560002 64.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017 65.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047 66.
- वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन 67. शिमला 171003
- महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001 68. 69.
- महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001 70.
- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001 71. 72.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
- महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001 73.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001 74.
- वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101 **75.** 76.
- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001 *77*.
- संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101 78.
- महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001 79.
- वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
- वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006 80.
- मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 81.
- नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 82.
- संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की 83. वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु -----को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

(अर्तुर्ल कुलश्रेष्ठ) शोध अधिकारी